

पत्रांक 10/न 4-65/2014...335  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

सुरेश चौधरी,  
विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

सेप्टम्बर में,

अध्यक्ष,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,  
नई दिल्ली-110092


पटना, दिनांक १०/०५/२०१५

विषय : B.D.M. Public School, Maner, Patna को अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

गहाराय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि B.D.M. Public School, Maner, Patna को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष किये गये शपथ पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

1. यह विद्यालय "Bhagwan Das Education & Welfare Trust" के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का व्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निर्वाचित सोसाइटी/न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया गया है।
3. विद्यालय को कुल 2 एकड़ 25 डिसमिल 35 वर्षों के लीज पर जमीन उपलब्ध हैं। विद्यालय में उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 28 शिक्षक हैं। रुपये १०० एस० ५०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसी रुपये १०० एस० ५०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार हैं। P.T.O

  
MANAGER  
B.D.M. PUBLIC SCHOOL  
Affiliated to CBSE Delhi (Upto 10+2 Level)  
All No.-330797, School Code-65807  
MANER PATNA

PRINCIPAL  
B.D.M. PUBLIC SCHOOL  
Affiliated to CBSE Delhi (Upto 10+2 Level)  
All No.-330797, School Code 65807  
MANER PATNA

### अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में कुल भागता का 25 प्रतिशत नि: शुल्क नामांकन पढ़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का किया जायेगा तथा उनसे दृगृहन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पराख्यक, विकलांग वालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/को० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आयोदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का घयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/को० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आयोदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, पिर भी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सावंजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोरेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाएगा, तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।


10. विभागीय, पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।


11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियन्त्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्तों के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार B.D.M. Public School, Maner, Patna को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

विश्वासमाजिन  
Ch. 20/1/2015

(सुरेश चौधरी)  
विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

  
MANAGER  
B.D.M. PUBLIC SCHOOL  
Affiliated to CBSE, Delhi (Upto 10+2 Level)  
Reg. No.-330797, School Code-65807  
MANER, PATNA

  
PRINCIPAL  
B.D.M. PUBLIC SCHOOL  
Affiliated to CBSE, Delhi (Upto 10+2 Level)  
Reg. No.-330797 School Code-65807  
MANER, PATNA